

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
वित्तीय स्थिरता और साइबर सुरक्षा प्रभाग

प्रेस प्रकाशनी

भारत: वित्तीय क्षेत्र निर्धारण कार्यक्रम, 2024

वित्तीय क्षेत्र निर्धारण कार्यक्रम (एफएसएपी), जोकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक (डब्ल्यूबी) का एक संयुक्त कार्यक्रम है, किसी देश के वित्तीय क्षेत्र का एक व्यापक और गहन विश्लेषण करता है। सितंबर 2010 से यह प्रयोग प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय क्षेत्रों के लिए अनिवार्य (मैंडेटरी) हो गया है। वर्तमान में, भारत सहित, 32 अधिकार-क्षेत्रों हेतु प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए, तथा अन्य 15 अधिकार-क्षेत्रों हेतु प्रत्येक दस वर्षों के लिए यह अनिवार्य है। भारत के लिए पिछला एफएसएपी 2017 में संचालित किया गया था तथा वित्तीय प्रणाली स्थिरता निर्धारण (एफएसएसए) रिपोर्ट आईएमएफ द्वारा 21 दिसंबर 2017 को प्रकाशित की गई थी।

2. आईएमएफ ने 2024 के दौरान संचालित किये गये निर्धारण के आधार पर अपनी वेबसाइटों पर नवीनतम भारत-एफएसए रिपोर्ट 28 फरवरी 2025 को निर्मुक्त की है, जबकि विश्व बैंक की वित्तीय क्षेत्र निर्धारण (एफएसए) रिपोर्ट का प्रकाशित होना अभी बाकी है।

3. भारत उच्चतम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप संयुक्त आईएमएफ-विश्व बैंक टीम द्वारा किये गये भारतीय वित्तीय प्रणाली के निर्धारण का स्वगत करता है।

4. आईएमएफ की एफएसएसए रिपोर्ट इस बात पर अधिक बल देती है कि भारत की वित्तीय प्रणाली 2017 के पिछले एफएसएपी के बाद अधिक आघात-सहनीय और विविधतापूर्ण बनी है, जोकि तीव्र आर्थिक वृद्धि के द्वारा संचालित है। भारत में वित्तीय क्षेत्र ने 2010 के बाद की विभिन्न विपत्ति-स्थितियों से समुत्थान दर्शाया है एवं महामारी का भली भाँति सामना किया है। वित्तीय क्षेत्र परिवृश्य के विकास के तौर पर, गैर-बैंकिंग वित्तीय मध्यवर्तियों (एनबीएफआई) का क्षेत्र विविधतापूर्ण, परंतु अधिक अंतर-संबद्ध हो

गया है। बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसीएस) के पास तीव्र समष्टि-वित्तीय परिवृश्यों में भी साधारण उधार का समर्थन करने के लिए पर्याप्त समग्र पूँजी है।

5. एनबीएफसीएस के विनियमन और पर्यवेक्षण के संबंध में आईएमएफ ने मान-आधारित विनियामक ढाँचे के साथ एनबीएफसीएस की विवेकसम्मत अपेक्षाओं के लिए भारत के प्रणालीगत वृष्टिकोण को स्वीकार किया है। आईएमएफ ने बड़ी एनबीएफसीएस के लिए बैंकों जैसे चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) को प्रारंभ करने संबंधी भारत के वृष्टिकोण की सराहना की है। बैंकों के पर्यवेक्षण के लिए आईएमएफ ने आईएफएसआर 9 के अंगीकरण तथा वैयक्तिक ऋणों, संपार्शिक मूल्यांकन, संबद्ध उधारकर्ता समूहों, बड़ी एक्सपोज़र सीमाओं, और संबंधित-पक्षकार लेनदेनों के संबंध में पर्यवेक्षण का स्तर बढ़ाने के माध्यम से ऋण जोखिम प्रबंध को मजबूत करने का सुझाव दिया है।

6. आईएमएफ स्वीकार करता है कि उभरते जोखिमों का प्रबंध करने और उनको रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रथा के अनुरूप प्रतिभूति बाजारों में विनियामक ढाँचे की वृद्धि की गई है। उल्लेखनीय सुधारों में शामिल हैं, कारपोरेट कर्ज बाजार विकास निधि (सीडीएमडीएफ) की स्थापना, बांड म्युचुअल निधियों के लिए परिवर्तनशील (स्विंग) कीमत-निर्धारण और चलनिधि अपेक्षाएँ लागू करना। विनियामक विस्तार को भी उभरते क्षेत्रों के संबंध में बढ़ाया गया है, जैसे तेजी से बढ़ रहे ईकिटी डेरिवेटिव्स उत्पादों के लिए धारणीयता और निवेशक संरक्षण उपाय।

7. आईएमएफ ने बताया है कि सरकारी डिजिटल अवसंरचनाओं के पास उल्लेखनीय रूप में सुधारित खुदरा वित्तीय समावेशन है तथा सिफारिश की है कि ऋण तक वित्तीय रूप से अल्पसुविधाप्राप्त क्षेत्रों की पहुँच में वृद्धि आस्ति-आधारित और डिजिटल उधार हेतु विधिक, कर और सूचनात्मक अवसंरचनाओं को मजबूत करने के द्वारा की जा सकती है।

8. एफएसएसए रिपोर्ट स्वीकार करती है कि भारत का बीमा क्षेत्र मजबूत और वृद्धिशील है, जहाँ दोनों जीवन और साधारण बीमा में इसकी उल्लेखनीय उपस्थिति है। यह क्षेत्र बेहतर विनियमों और डिजिटल नवोन्मेषणों द्वारा समर्थित रूप में स्थिर रहा है। उक्त रिपोर्ट पर्यवेक्षण, जोखिम प्रबंध और अभिशासन में सुधार लाने में भारत की प्रगति का उल्लेख करती है तथा जोखिम-आधारित शोधन-क्षमता / पर्यवेक्षण ढाँचों और अधिक सुदृढ़ सामूहिक पर्यवेक्षण की दिशा में आगे की कार्रवाइयाँ सुझाती है। इसने बीमा क्षेत्र में जोखिम-आधारित वृष्टिकोण की दिशा में संक्रमण को स्वीकार किया है। यह वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं तथा एक आघात-सहनीय बीमा क्षेत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है।

9. आईएमएफ सिफारिश करती है कि समष्टि-विवेकपूर्ण प्राधिकरणों का प्राथमिक उद्देश्य वित्तीय स्थिरता होनी चाहिए।

10. उभरते जोखिमों, साइबर सुरक्षा, मौसमी परिवर्तन और प्रणाली-व्यापी संसर्ग के तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मौसमी परिवर्तन से वित्तीय स्थिरता जोखिम, प्रबंध करने योग्य प्रतीत होते हैं, परंतु इसके लिए ध्यानपूर्वक निगरानी आवश्यक है। उक्त निर्धारण ने मौसम संबंधी वित्तीय जोखिमों का प्रस्तुतीकरण करने के लिए बेहतर कानूनीकरण (ग्रैन्युलैरिटी) से युक्त संवर्धित डेटा कवरेज का सुझाव दिया है।

11. आईएमएफ ने बैंकिंग क्षेत्र, वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई), महत्वपूर्ण सूचना प्रणालियों, तथा प्रतिभूति बाजार में अन्य संबंधित खिलाड़ियों के संबंध में साइबर सुरक्षा ढाँचे का भी विश्लेषण किया है। आईएमएफ ने पाया है कि भारतीय प्राधिकारियों के पास विशेष रूप से बैंकों के लिए उन्नत साइबर सुरक्षा जोखिम निगरानी विद्यमान है। तथापि, आईएमएफ ने कहा है कि साइबर-सुरक्षा संबंधी आघात-सहनीयता को आगे और मजबूत करने के लिए क्षेत्रपार (क्रास- सेक्टोरल) और बाजार-व्यापी घटनाओं हेतु बैंकों के लिए व्यापक साइबर-सुरक्षा संकट अनुरूपणों और दबाव परीक्षणों का विस्तार किया जा सकता है।

12. भारत के एफएसएपी के मामले में सिफारिशें मुख्य रूप से वित्तीय प्रणाली की संरचना और कार्यात्मकता में आगे और सुधार लाने पर केन्द्रित हैं तथा कई विस्तृत सिफारिशें संबंधित प्राधिकारियों / विनियमनकर्ताओं की स्वयं की विकासात्मक योजनाओं के अनुरूप हैं। भारत जहाँ भी आवश्यक है वहाँ देशी आवश्यकताओं और आर्थिक परिस्थितियों के लिए अनुकूल रूप में अंतरराष्ट्रीय तौर पर स्वीकृत मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं को एक चरणबद्ध रूप में अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

आईएमएफ द्वारा निर्मुक्त एफएसएसए तक निम्नलिखित पर पहुँचा जा सकता है:

[India: Financial Sector Assessment Program-Financial System Stability Assessment](#)

Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs
Financial Stability and Cyber Security Division

PRESS RELEASE

India: Financial Sector Assessment Program, 2024

The Financial Sector Assessment Program (FSAP), a joint program of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank (WB), undertakes a comprehensive and in-depth analysis of a country's financial sector. Since September 2010 the exercise has become mandatory for jurisdictions with systemically important financial sectors. Currently, it is mandatory for 32 jurisdictions including India, every five years, and for another 15 jurisdictions every ten years. Last FSAP for India was conducted in 2017 and the Financial System Stability Assessment (FSSA) report was published by IMF on 21st December, 2017.

2. IMF released the latest India-FSSA report on their websites on February 28, 2025, based on the assessment carried out during 2024, while WB's Financial Sector Assessment (FSA) report is due for publication.
3. India welcomes assessment of the Indian financial system undertaken by the joint IMF-World Bank team conforming to the highest international standards.
4. IMF's FSSA report highlights that India's financial system has become more resilient and diverse since the last FSAP in 2017, driven by rapid economic growth. Financial Sector in India has shown recovery from various distress episodes of 2010s and withstood the pandemic well. In terms of evolution of financial sector landscape, Non-Banking Financial Intermediaries (NBFI) sector has become diverse but more interconnected. Banks and Non-Banking Financial Companies (NBFCs) have sufficient aggregate capital to support moderate lending even in severe macrofinancial scenarios.
5. On regulation and supervision of NBFCs, IMF acknowledged India's systematic approach for prudential requirements of NBFCs with scale based regulatory framework. IMF appreciated India's approach on introduction of bank-like Liquidity Coverage Ratio (LCR) for

large NBFCs. For supervision of banks, IMF suggested strengthening credit risk management through IFSR 9 adoption and upgrading supervision over individual loans, collateral valuation, connected borrower groups, large exposure limits, and related-party transactions.

6. IMF acknowledges that the regulatory framework in securities markets has been enhanced in line with international practice to manage and prevent emerging risks. Notable improvements include establishing the Corporate Debt Market Development Fund (CDMDF), introducing swing pricing and liquidity requirements for bond mutual funds. The regulatory scope has also been expanded over emerging areas such as sustainability and investor protection measures for fast-growing equity derivatives products.

7. IMF has stated that public digital infrastructures have significantly improved retail financial inclusion and recommended that financially underserved sectors' access to credit can be enhanced by strengthening legal, tax, and informational infrastructures for asset-based and digital lending.

8. The FSSA report acknowledges that India's insurance sector is strong and growing, with a significant presence in both life and general insurance. The sector has remained stable, supported by better regulations and digital innovations. The report notes India's progress in improving oversight, risk management and governance and suggests further steps toward risk-based solvency / supervision frameworks and stronger group supervision. It acknowledged transition plans towards risk-based approach in the insurance sector. This reflects India's commitment to global best practices and a resilient insurance sector.

9. IMF recommends that financial stability should be the primary objective of the macroprudential authorities.

10. In terms of emerging risks, cybersecurity, climate change and system-wide contagion need attention. Financial stability risks from climate change appear manageable but warrant careful monitoring. The assessment suggested enhanced data coverage with better granularity for mapping climate-related financial risks.

11. IMF also analysed cyber security framework in banking sector, Financial Market Infrastructure (FMI), Critical Information Systems, and other relevant players in securities

market. IMF found that Indian authorities have advanced cybersecurity risk oversight, especially for banks. However, IMF stated that extensive cybersecurity crisis simulations and stress tests for banks could be expanded for cross-sectoral and market-wide events to further strengthen cybersecurity resilience.

12. The recommendations in case of India FSAP are mainly focussed on bringing about further improvements in the structure and functioning of the financial system and many of the detailed recommendations are in conformity with the concerned authorities'/regulators' own developmental plans. India remains committed to adoption of internationally accepted standards and best practices in a phased manner, attuned to domestic needs and economic conditions, wherever necessary.

The FSSA released by IMF can be accessed at:

<https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2025/02/28/India-Financial-Sector-Assessment-Program-Financial-System-Stability-Assessment-562815>
